जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 27.12.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी के 01 अदद लैपटाप, 01 अदद की बोर्ड, 02 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन व 1250 रु0 नकद के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 27.12.2024 को को समय माता मन्दिर के पास स्थित चाय की दुकान से मुखबिर की सूचना पर चोरी के मामले में 01 अभियुक्त नाम पता तम्बीह पुत्र अख्तरुल इमाम पुत्र अखलाक अहमद निवासी जलकल रोड माली टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को चोरी के 01 अदद लैपटाप, 01 अदद की बोर्ड, 02 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन व 1250 रु0 नकद के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त / बरामदगी से थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 981/2024 धारा 331(4)/305/317(2) बी0एन0एस0 का सफल अनावरण हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

तम्बीह पुत्र अख्तरुल इमाम पुत्र अखलाक अहमद निवासी जलकल रोड माली टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण –

01-01 अदद लैपटाप लीनोवो कम्पनी।

02-01 अदद कीबोर्ड लोगीटेक कम्पनी।

03- 02 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन।

04- चोरी के 1250 रु0 नकद।

विवरण-

विदित हो कि दिनांक 26.12.2024 को वादी श्री राजनारायण मिश्रा पुत्र श्री भजूराम मिश्रा निवासी रामपुर न्यू कालोनी, तारामण्डल रोड, थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 24.12.2024 को प्रतिदिन की भांति बैंक चौराहा, गोला बाजार स्थित अपने आफिस को बन्द करके घर चले गए थे, पुनः दिनांक 25.12.2024 को जब आफिस पहुँचे तो आफिस का ताला किसी अज्ञात चोर द्वारा तोड़कर आफिस में रखे लैपटाप, कीबोर्ड, 02 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन व 1950 रु0 नकद चोरी कर लिए गए है। जिसके उपरान्त थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को चोरी के समानों के साथ गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण–

उ0नि0 श्री राजकुमार पटेल, उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, हे0का0 रामभवन गुप्ता, का0 पंकज विश्वकर्मा ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5261 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5261 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत परसाखुर्द से कालर द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों (1- महेश पुत्र रामचन्द्र 2- अराधना पत्नी दुर्गेश शर्मा 03-दुर्गेश शर्मा पुत्र रामतिलक ग्राम परसाखुर्द थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर) के

घायल होने सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर उक्त घायलो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर सडक दुर्घटना में घायलो को ईलाज हेतु सी0एच0सी नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* का0 पेशकार भारती, हो0चा0 चन्द्रसेन।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 151 वाहनों से 1,47,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 151 वाहनों से 1,47,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 538/2024 धारा 137(2)/87/352/351(2)/64(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता आकाश साहनी पुत्र राजेन्द्र साहनी निवासी बसवारी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को बस स्टैण्ड धनघटा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना धनघटा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 27.12.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रवीन्द्र यादव, का0 सौरभ उपाध्याय।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना दुधरा पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 538/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता नो0 नासीर पुत्र मो0 यासीन निवासी मदना थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 20.12.2024 को थाना दुधारा पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा

पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 27.12.2024 को अपहृता को बरामद करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सुरेश यादव, का0 हेमन्त कुमार कुशवाहा, का0 गुड्डू यादव, म0आ0 मनीषा यादव।